उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–3
संख्या– 260831 / IV(3)/2024–11(01 निर्वाचन)/2024
देहरादून; दिनांक 12 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) की धारा 296 में राज्य सरकार में उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा एवं धारा 300 में अपेक्षित पूर्व प्रकाशन की शर्तों को अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति निहित है;

और चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव से नियम बनाना आवश्यक है;

और चूंकि, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (3) में राज्य सरकार में पूर्व प्रकाशन के बिना नियम बनाने की शक्ति निहित है;

अतएव, अब राज्यपाल उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02 वर्ष 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) की धारा 296 सपठित धारा 9–क एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों में स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन किये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1. (1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 2024 है।
	(2)	यह उत्तराखण्ड के सभी नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी, जहां स्थानों और पदों को निर्वाचन द्वारा भरा जाता है।
	(3)	यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2.	इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो– (क) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,

		1916 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अभिप्रेत है; **(ख)** "पद" से यथास्थिति नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद अभिप्रेत है;
		(ग) "स्थान" से यथास्थिति नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य के स्थान अभिप्रेत है।
		(घ) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
		(ड़) "राज्य के नगरीय क्षेत्र" से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के अधीन गठित नगर के नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, राज्य की, यथास्थिति, ऐसी नगरपालिकाओं या नगर पंचायतों के नगर पालिका क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां निर्वाचन द्वारा पदों को भरा जाता है।
कक्षों की व्यवस्था	**3.**	अधिनियम की धारा 11–क की उपधारा (1) के अनुसार कक्षों का परिसीमन करने के पश्चात् किसी नगरपालिका क्षेत्र में कक्षों को ऐसी रीति से संख्यांकित करने के पश्चात् ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या वाले कक्ष को 1 संख्यांकित किया जायेगा और कक्ष संख्या 1 की अपेक्षा अनुसूचित जाति की कम जनसंख्या वाले कक्ष को 2 संख्यांकित किया जायेगा और शेष कक्षों को इसी प्रकार संख्यांकित किया जायेगा।
आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की अवधारणा	**4.**	**(1)** अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (1) के अधीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि वह किसी नगरपालिका में कुल स्थानों की संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति की संख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है, और यदि ऐसे स्थानों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढा दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।
		(2) अधिनियम की धारा 9–क उपधारा (1) के अधीन

		पिछड़े वर्ग के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि वह किसी नगरपालिका में कुल स्थानों की संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे स्थानों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है और वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा औ यदि वह भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा, इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी: परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का कुल आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
		(3) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जाति के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए और उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए अवधारित स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि स्थानों की संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या, यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।
		(4) अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (4) के अधीन महिलाओं के लिए किसी नगरपालिका में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उस नगरपालिका में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उपनियम (3) के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

स्थानों का आवंटन	5.	(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगरपालिका में, विभिन्न कक्षों को एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से आवंटित की जाएगी– (क) पहले नगरपालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार नगरपालिका के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जाति के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थानों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जाएगी। (ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किए गए हैं, कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा, और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आबंटित स्थानों को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी। (ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किए गए हैं, कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए

		अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्ग की जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थानों को पिछडे वर्ग की महिलाओं की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और पिछडे वर्ग के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी। **(घ)** उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित किए गए हैं कक्षों को नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (4) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा।
		(2) यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आधार पर– **(क)** यथास्थिति अनुसूचित जाति के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए या पिछड़े वर्गो के लिए केवल एक ही स्थान आरक्षित किया जा सके तो ऐसा स्थान यथास्थिति ऐसी जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा। **(ख)** यथास्थिति, अनुसूचित जाति के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी स्थान आरक्षित न किया जा सके तो उपनियम (1) के निर्दिष्ट स्थानों के आवंटन की रीति ऐसी होगी, मानों उसमें यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए कोई निदेश नहीं है।
अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन	**6.**	**(1)** अधिनियम की धारा 9–क की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए अलग–अलग एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा। **(2) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या–(क)** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के

		लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के कुल पदों की संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हों, जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी, परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का कुल आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। **(ख)** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग हेतु उपरोक्तानुसार आरक्षित पदों में से एक तिहाई के बराबर पद क्रमशः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित होंगे और ऐसे पदों के अवधारण में यदि पूर्ण संख्या से शेष बचता है तो महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की संख्या में, यथास्थिति एक बढ़ा दिया जायेगा। **(ग)** महिलाओं के लिए, जिसमें यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की महिलायें भी सम्मिलित है, कुल पदों के एक तिहाई पद उपबन्धित रीति से अवधारित किये जायेंगे और ऐसे पदों के अवधारण में यदि पूर्ण संख्या से शेष बचता है तो महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की संख्या में, यथास्थिति एक बढ़ा दिया जायेगा। **(3)** (एक) उपनियम (2) के खण्ड (क) (ख) और (ग) के अधीन राज्य की नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतो के लिए अवधारित पदों की संख्या यथास्थिति विभिन्न नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि – **(क)** उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जाति के लिए अवधारित पदों के

		आवंटन के उद्देश्य से सर्वप्रथम सभी नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों की सूची किसी नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अुनसार अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। (ख) तत्पश्चात् उपनियम (3) (क) में तैयार सूची में से ऐसी नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद् को हटा दिया जायेगा जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या निकाय की कुल जनसंख्या का 05 प्रतिशत से कम हो। तत्पश्चात् शेष सूची के कुल पदों की संख्या को अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित पदों की संख्या से विभाजित किया जायेगा और यदि कोई अवशेष बचता है तो यदि वो भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड दिया जायेगा, और यदि वो भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में 01 बढ़ा दिया जायेगा। (ग) इसके बाद इस सूची में से ऐसी नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद् को हटा दिया जायेगा, जिनके अध्यक्ष पद पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित रह चुके हों। इस प्रकार उक्त खण्ड (ख) के अनुसार प्राप्त भागफल की संख्या के अन्तर से सूची के प्रथम नाम से प्रारम्भ करते हुए, अनुसूचित जाति के पदों के आरक्षण हेतु नगर पालिका/नगर पंचायतों के लिए बनने वाली सूची में सम्मिलित किया जायेगा। सूची में निर्धारित संख्या तक अनुसूचित जाति के नाम प्राप्त न हो पाने पर सूची निर्धारित अन्तर के साथ अन्त तक पहुंचने के बाद अन्त में बचे नामों को सम्मिलित करते हुए पुनः ऊपर से निर्धारित अन्तर को पूरा करके तैयार की जायेगी। परन्तु यह कि पूर्व में सम्मिलित नाम छोड दिया जायेगा। यदि सूची के अन्त तक पहुँचने पर कोई अवशेष न बचे तो, सूची के द्वितीय नाम से उक्त प्रक्रियानुसार निर्धारित अन्तर के साथ शेष पद आरक्षित किये जायेगे। (घ) उक्तानुसार प्राप्त सूची को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा तथा सूची में अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु निर्धारित संख्या में आरक्षण, सूची के प्रारम्भ की नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में कर दिया जायेगा, शेष पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रहेंगे। (दो) उपनियम (3) के खण्ड (एक) में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित पदों को छोडकर शेष पदों की नगरपालिका परिषद्/नगर

		पंचायतों की सूची उपनियम (3) के खण्ड (1) (क), (ख), (ग) तथा (घ) के अनुसार तैयार करके अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण निर्धारित किया जायेगाः परन्तु इस प्रयोजन हेतु उपनियम (3) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में प्रयुक्त ''शब्द'' ''अनुसूचित जाति'' के स्थान पर ''अनुसूचित जनजाति'' पढ़ा जायेगा। **(तीन)** उपनियम (3) के खण्ड (एक) तथा (दो) में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा उन वर्गो की महिलाओं सहित आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों की नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों की सूची उपनियम (3) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) (ख) (ग) (घ) के अनुसार तैयार करके पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण निर्धारित किया जायेगाः परन्तु इस प्रयोजन हेतु उपरोक्त उपनियम (3) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) (ख) (ग) तथा (घ) में प्रयुक्त शब्द 'अनुसूचित जाति' के स्थान पर 'पिछड़ा वर्ग' पढ़ा जायेगा। **(चार)** उपनियम (3) के खण्ड (एक), (दो) तथा (तीन) में आरक्षित पदों को छोड़कर शेष नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों की सूची, उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् सूची के प्रथम नाम से प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक पद महिला हेतु आरक्षित रहेगा जब तक कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं सहित कुल पदों के एक तिहाई पदों का आरक्षण पूर्ण न हो जाये। पुनश्चः यदि किसी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु मात्र 01 पद आरक्षित हो रहा हो, तो उसे क्रमशः 02 निर्वाचनों में महिला हेतु आरक्षित न करते हुये तृतीय निर्वाचन में महिला हेतु आरक्षित किया जायेगा। **(ख)** यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग हेतु कोई भी पद आरक्षण हेतु अवधारित नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित वर्ग/जाति हेतु कोई निदेश नहीं है।
उपाध्यक्ष पदों का आरक्षण और आवंटन	7.	नगरपालिका परिषदों के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष तथा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की प्रक्रिया भी अध्यक्ष पद के आरक्षण के नियमों के अन्तर्गत ही होगीः

		परन्तु यह कि विभिन्न वर्गों में जो पद अध्यक्ष हेतु आरक्षित हो चुके हैं, उन्हें उन्हीं वर्गो की सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
कनिष्ठ उपाध्यक्ष पदों का आरक्षण एवं आवंटन	8.	नगरपालिका परिषद्ों में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण एवं आवंटन उपरोक्त नियम 7 के अधीन ही किया जायेगाः परन्तु यह कि जिन नगरपालिका परिषद्ों में ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित हो, ऐसी नगर पालिका परिषद्ों में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण एवं आवंटन क्रमशः यथास्थिति उन्हीं वर्गो के लिए पुनः आरक्षित नहीं होगा।
आवंटन के आदेश –	9.	(1) पूर्ववर्ती नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियम 4 या नियम 6 या नियम 7 या नियम 8 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों और पदों की संख्या का अवधारण करने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, स्थानों और पदों को, यथास्थिति, कक्षों और नगरपालिकाओं को आवंटित करेगी। (2) उपनियम (1) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम सात दिन की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया जाएगा। (3) राज्य सरकार आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी, परन्तु ऐसी आपत्तियों पर व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक न समझे और तदुपरान्त वह अन्तिम हो जाएगा। (4) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित नगरपालिका के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी चस्पा किया जाएगा।

Signed by
Gaurav Kumar
Date: 12-12-2024 20:45:15

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।